न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

...व मु 101/2022

1 नरसाराम पुत्र स्व. रिधाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 श्रीमती रामी देवी पत्नी स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू

2 मदनलाल पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू

3 हड़मानमल पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर चूरू

4 औमप्रकाश पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर चूरू

5 सुरेश कुमार पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर चूरू

6 नानुराम पुत्र स्व. किशनाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू

7 श्रीमती रूकमणी पुत्री स्व. किशनाराम (शर्मा) उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू हाल पत्नी श्री भंवरलाल शर्मा वल्द जीवणरामजी शर्मा निवासी ग्राम भरपालसर तहसील रगनगढ़ जिला चूरू

8 मेघाराम पुत्र स्व. रिधाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू

9 हरखाराम पुत्र स्व. रिधाराम जाति ब्राह्मण (शर्मा) निवासी ग्राम उड़वाला तह. बीदासर जिला चूरू

9/1 श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/2 मॉंगीलाल पुत्र स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/3 सरोज पुत्री स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/4 पुष्पा पुत्री स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/5 विमला पुत्री स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/6 मनोज पुत्र स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/7 रामी पुत्री स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/8 कैलावती पुत्री स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/9 नन्दलाल पुत्र स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

9/10 संतरा पुत्री स्व. हरकाराम जाति ब्राह्मण निवासीनी ग्राम उड़वाला तह.बीदासर चूरू

लगातार.........2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

10 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पारेवड़ा तह. बीदासर जिला चूरू

11 शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा चूरू जिला चूरू

12 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

13 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)

14 श्रीमान उप पंजीयक बीदासर, उप पंजीयक कार्यालय बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति, विभाजन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955''

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 ता 8 व 9/1 से 9/10 श्री आमीन शेख एडवोकेट
3 प्रतिवादी स. 13 – पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/01/2023

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग के खेत खसरा नम्बर 232 अगुणा तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 2.0108 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 बाड़ी रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 1.2014 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 धोरावाला रकबा 3.7433 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 7.4234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 3.8445 हैक्टेयर कुल खसरे 8 कुल रकबा 20.3732 हैक्टेयर (80–11 बीघा) वाके रोही ग्राम उड़वाला तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है उपरोक्त वर्णित मद सख्या 1 में वर्णित सम्पूर्ण खसरे संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 के पिता स्व. किशनाराम का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 8 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 9 का 1/4 हिस्सा है सम्पूर्ण खसराजात एवं खाते की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में शामलात में दर्ज चली आ रही है वादी एवं प्रतिवादीगण का परिवार वड़ा हो गया है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवारो में आपस में भूमि आपस में वैचारिक मतभेद रहने लगा है इसलिए वागदगत खसराजात को काश्त करने, राजकीय लाभांश प्राप्त करने, सरकारी अनुदान आदि आदि प्राप्त करने की दस्तावेजी कार्यवाहीयों का निष्पादन करवाने में कठिनाईया होती है, राजकीय अनुदानों के आवेदन में हर वक्त प्रत्येक खातेदार की सहमति के हस्ताक्षर/बयान करवाने आदि आदि में भारी परेशानीया होती है वादी ने प्रतिवादीगण 1 ता 7 के पति/पिता को उनके जीवन काल में तथा प्रतिवादी

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

सख्या 1 ता 7 के पति/पिता के स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान को तथा प्रतिवादी सख्या 8 व 9 को वादगत खसराजात की भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन करवाने का कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे है वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 का खान पान लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है परन्तु वादगत खेतो की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित रहने से वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में एवं राजस्व लगान चुकाने में भारी परेशानीया होती है इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह न्यायालय में वाद पेश कर संयुक्त खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर खातेदारी अधिकारों की हिस्सा भूमि का विधिवत विभाजन करवा कर अपने नाम पृथक अंकित करवा कर लगान का विभाजन करावें। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 9 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 वादगत खेतों की सींवे काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया रखा है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 8–11–2022 को निवेदन किया कि वादगत खेतो की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि पर जहां चाहेगे वहां जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेतो में जहां चाहे पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेतो का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेतो की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 सख्या व बल में अधिक होने तथा पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा डिक्री से प्रतिवादीगण को वर्जित करावें कि जब तक वादगत खेतो का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेतो के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय, बन्धक, हस्तान्तरण, बैय आदि नहीं करें ना ही वादी के हक हिस्सा की भूमि के काश्त में किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी देवें तथा ना वादी को उसके हक हिस्सा की भूमि से

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर (चूरू)

Scanned with CamScanner

जबरन बेदखल करें, वादगत खेतो में वादी का 1/4 हिस्सा का सयुंक्त खातेदार कृषक होने से तथा संयुक्त खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त होने से वादाधार वाद प्राप्त है। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 द्वारा दिनांक 8–11–2022 को ऐलानिया धमकीया देने से वादी को वाद हैतुक प्राप्त है वाद वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती का है वादगत खेत रोही ग्राम उड़वाला तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है राजस्थान सरकार भू–धारक है जो वाद में एक आवश्यक पक्षकार है इसलिए कानूनी आपत्तियों को मध्य नगर रखते हुए इस वाद में प्रतिवादी सख्या 13 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है आदि आदि प्रस्तुत कर अनुतोश चाहा की वादगत खेत खसरा नम्बर 232 तादादी 1.1255 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 328 रकबा 2.0108 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.7967 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 बाड़ी रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 1.2014 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 धोरावाला रकबा 3.7433 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 7.4234 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 66 रकबा 3.8445 हैक्टेयर कुल खसरे 8 कुल रकबा 20.3732 हैक्टेयर (80–11 बीघा) वाके रोही ग्राम उड़वाला तहसील बीदासर जिला चूरू की संयुक्त खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विधिवत विभाजन किया जाकर वादी के हिस्सा पांती की भूमि की वादी के नाम पृथक खातेदारी अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण के प्रतिवादी सख्या 9 हरकाराम का दिनांक 8/12/2022 को स्वर्गवास हो चुका है। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सख्या 1 ता 8 एवं प्रतिवादी स. 9 स्व. हरकाराम के वारिसान की और से श्री आमीन शेख एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी स. 9 के वारिसान ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का जवाब नहीं देना चाहते हूए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना जाहिर किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी सख्या 9 के आगे लाल स्याही से स्व. शब्द अंकित किया जाकर प्रतिवादी स. 9 के वारिसान को प्रतिवादी सख्या 9/1 ता 9/10 पक्षकार प्रतिवादी संयोजित करते हूए संशोधित शिर्षक दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी स. 1 ता 8 व प्रतिवादी स. 9/1 ता 9/10 की और से जवाब दावा मय कोस सूट प्रस्तुत किया, साथ ही सूचि दस्तावेज के हमराह दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोस सूट में वर्णित भूमि खेत खसरा नम्बर 215 रकबा 2.0108 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा

लगातार........5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

0.4679 हैक्टेयर भूमि स्व. रिधाराम के वक्त की पुश्तैनी भूमि है जिसके राजस्व रेकार्ड में गलत अंकन नरसाराम पुत्र किशनाराम दर्ज चला आ रहा है जिसको दुरूस्त किया जाकर हस्तगत दावा की विवादित भूमि के साथ विभाजन किया जाये। वादी ने कोरा सूट का जवाब नहीं देते हूए कोस सूट स्वीकार करने का निवेदन किया। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 8, प्रतिवादी सख्या 9/1 ता 9/10 की और से दावा में राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। वादी ने सूचि दस्तावेज के साथ छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र हरकाराम, किशनाराम मय कुर्सीनामा व राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी स. 10 ता 12 की विधिवत तामील के बावजूद कोई हाजिर नहीं आने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 13 सरकार की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में राज हित निहित नहीं होना अंकित किया। साक्ष्य वादी में वादी नरसाराम ने नोटेरी से तस्दीक शुदा सशपथ बयान प्रस्तुत कर वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता स. 110 प्रदर्श–1, नक्शा खसरा नम्बर 232 प्रदर्श–2, नक्शा खसरा नम्बर 328 प्रदर्श–3, नक्शा खसरा नम्बर 393 प्रदर्श–4, नक्शा खसरा न. 402 प्रदर्श–5, नक्शा ख.न. 411 प्रदर्श–6, नक्शा ख. न. 440 प्रदर्श–7, नक्शा खसरा नम्बर 66 प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सख्या 109 प्रदर्श–9, छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र मय कुर्सीनामा प्रदर्श–10, छाया प्रति मृत्यू प्रमाण पत्र किशनाराम मय कुर्सीनामा प्रदर्श–11, प्रमाणित प्रति जागीर आय जमाबंदी संवत् 2010 खाता न. 153 प्रदर्श–12, जमाबन्दी संवत् 2016–19 खाता स. 80 प्रदर्श–13, पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2021 खसरा न. 433 प्रदर्श–14, पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2021 खसरा न. 215 प्रदर्श–15 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। वादी द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण साक्ष्य वादी बन्द की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सख्या 2, 8 व 9/6 ने नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जिरह वकील वादी नहीं करने के कारण शून्य अंकित की गई। बहस अन्तिम विद्धान अधिवक्तागण की सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राजीनामा एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः उपरोक्त वाद इस प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है कि रोही ग्राम उड़वाला के खेत खसरा नम्बर 215, 433 का राजस्व रेकार्ड नरसाराम पुत्र किशनाराम के वजाय स्व. रिधाराम की भूमि मानते हूए, मेगाराम को शुद्ध मेघाराम दुरूस्त किया जाकर वादगत सम्पूर्ण खसराजात का मुताबिक राजीनामा खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 1.1255 हैक्टेयर (4–09 बीघा) सम्पूर्ण प्रतिवादी स. 8 मेघाराम के हिस्सा पांती में, खेत खसरा नम्बर 411 रकबा 1.2014 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की खसरा न. 410 के चिपती अगूण मुखी 10 गठ्ठा चोड़ी व 20 गठ्ठा लम्बाई की भूमि खेत 0.1264 हैक्टेयर (0–10 बीघा) वादी नरसाराम के हिस्सा पांती में तथा इस खसरा नम्बर 411 की बाकी व खसरा नम्बर 402, 393 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 स्व. किशनाराम के वारिसान के हिस्सा में ब.हि.बराबर, खसरा नम्बर 428 रकबा 3.7433 हैक्टेयर (14–16 बीघा) में से दक्षिणी पश्चिमी कोने की 0.1264(0–10 बीघा) प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 स्व. किशनाराम के वारिसान के हिस्सा में ब.हि.ब तथा बाकी खसरा भूमि वादी नरसाराम के हिस्सा पांती में, खेत खसरा नम्बर 440 रकबा 7.4234 हैक्टेयर (29–07 बीघा) में से पूर्वी तरफ की 14–13 बीघा भूमि प्रतिवादी सख्या 9/1 ता 9/10 स्व. हरकाराम के वारिसान के हिस्सा पांती में ब. हि. बबराबर., बाकी 14–12 बीघा प्रतिवादी सख्या 1 ता 7 स्व. किशनाराम के वारिसान के हिस्सा पांती में ब. हि. बबराबर, खसरा नम्बर 66 रकबा 3.8445 हैक्टेयर (15–04 बीघा) प्रतिवादी सख्या 8 मेघाराम, खेत खसरा नम्बर 328 रकबा 2.0108 हैक्टेयर (7–19 बीघा) प्रतिवादी स. 9/1 ता 9/10 के हिस्सा पांती में ब. हि. बराबर, खेत खसरा नम्बर 215 रकबा 2.0108 हैक्टेयर (7–19 बीघा) सम्पूर्ण वादी नरसाराम के हिस्सा पांती में, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.4679 हैक्टेयर (1–17 बीघा) सम्पूर्ण खसरा भूमि प्रतिवादी सख्या 8 मेघाराम के दर्ज की जाये। मुताबिक विभाजन खातेदारान का राजस्व रेकार्ड नक्शो में तरमीम कर खसरे अलग अलग कायम किये जाकर लगान अलग कायम किया जाये तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार अन्तिम डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिकी की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 11–01–2023 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner